

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 105/15

संस्थापन दिनांक:-13/03/15

फाईलिंग नं. 233504003072015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

पिंटू उर्फ परसराम पिता रामप्रसाद यादव

उम्र 27 वर्ष, निवासी कुटखेड़ी,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 01.06.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 21.02.2015 को समय करीब 04:00 बजे प्रार्थिया का खेत ग्राम डोडावानी थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 21.02.2015 को शाम 4 बजे अपने खेत में खाद डाल रही थी। तभी अभियुक्त उसके खेत में आया और उसे बोला कि सब लोग कहां गये तो उसने बोला कि घर पर कोई नहीं है। इतना सुनते ही अभियुक्त ने बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और उसका सीना दबाने लगा और उसे नदी तरफ खींचकर ले जाने लगा। जब वह चिल्लायी तो उसकी सास को आते देखकर अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। फरियादी द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 88/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी एवं अभियुक्त की ओर से राजीनामा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 354 भा० दं० सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नीयत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 फरियादी (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय खेत में खाद डाल रही थी। खेत में ही उसका घर भी है। उसके पति, सास, ससुर घर में नहीं थे। तभी अभियुक्त खेत पर उसके पास आया और उससे कहा कि सब लोग कहां है, तब उसने कहा कि घर पर कोई नहीं है। तब अभियुक्त ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया, सीना दबाने लगा और नदी तरफ खींचकर ले जाने लगा। तब उसने जोर से चिल्लाया तो उसकी सास ईमाबाई को आता देख अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने घटना की जानकारी सास, जेठ, जेठानी को दी थी। थाने में रिपोर्ट की थी।

7 ईमाबाई (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि घटना के समय उसकी बहू खेत की गन्नाबाड़ी में खाद डालने के लिए गयी थी। जब बहू ने चिल्लाया तो वह घर से बाहर निकली। तब उसकी बहू खेत तरफ से उसकी ओर आयी और बताया कि अभियुक्त पिंटू ने उससे पूछा कि घर के लोग कहां गये हैं, उसने कहा कि घर पर कोई नहीं है, तब अभियुक्त पिंटू ने उसके हाथ को बुरी नीयत से खींचा और चिल्लाने पर भाग गया। रामदयाल (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि घटना के समय उसकी बहू खेत में खाद डाल रही थी। अभियुक्त

पिटू उसका हाथ पकड़कर नदी तरफ ले जा रहा था। घटना के समय वह घर पर नहीं था, जब शाम को वापस आया तो घटना की सारी जानकारी फरियादी ने उसे दी थी।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 21.02.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत कुंतीबाई का परीक्षण करने पर आहत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है।

9 बिसन सिंह (अ.सा.-5) ने दिनांक 21.02.2015 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक अपराध क्र. 88/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 25.02.2015 को घटना स्थल जाकर फरियादी की निशादेही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-4) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

10 प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-1) ने अभियुक्त द्वारा उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़ने, उसका सीना दबाकर उसे नदी तरफ खींचकर ले जाना बताया है। ईमाबाई (अ.सा.-2) एवं रामदयाल (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि फरियादी ने उन्हें घटना की जानकारी दी थी और यह बताया था कि अभियुक्त ने उसका हाथ बुरी नीयत से खींचा था और चिल्लाया तो अभियुक्त भाग गया।

11 फरियादी (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त और उसके परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। कृति यादव अभियुक्त पिटू की पत्नी है। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त की पत्नी ने उसके पति के विरुद्ध दिनांक 20.02.2015 को छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उक्त रिपोर्ट पर उसका पति जेल गया था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसके पति और अभियुक्त के बीच पैसों को लेकर लेनदेन का विवाद है। अभियुक्त ने 18,000/- रुपये उधार लिये थे, वह वापस नहीं कर रहा है। उसने जो लिखित आवेदन दिया था, वह बोलती जा रही थी और पुलिस लिखती जा रही थी।

12 ईमाबाई (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर थी। घटना उसने नहीं देखी थी। जैसे ही उसकी बहू ने चिल्लाया तो वह गन्नाबाड़ी की तरफ गयी। अभियुक्त पिटू की पत्नी ने उसके बेटे के विरुद्ध घटना के एक दिन पहले छेड़खानी की रिपोर्ट की थी। अभियुक्त

पिटू से पैसों के लेनदेन का विवाद है। इसी बात की अभियुक्त पिटू और दुर्गाप्रसाद के बीच रंजिश है। रामदयाल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके बेटे दुर्गाप्रसाद से पैसे उधार लिये थे और बार-बार मांगने पर भी रुपये वापस नहीं कर रहा था। जब उसका बेटा अभियुक्त पिटू से उधारी के पैसे मांगने गया तो उसका विवाद हो गया और उसी दिन अभियुक्त की पत्नी ने उसके बेटे के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत कर दी। इस सुझाव को सही बताया है कि उसी विवाद को लेकर उसकी बहू ने दूसरे दिन थाना आमला में पिटू की शिकायत कर दी थी। साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी बहू का हाथ खींचा और हाथ खींचकर भाग गया था। **प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसकी बहू ने उसे केवल इतना बताया था कि अभियुक्त पिटू ने उसका हाथ पकड़ा था। इसके अलावा इस बारे में उसकी अपनी बहू से कोई बात नहीं हुई।** यदि अभियुक्त पिटू आज भी पैसा वापस कर ले तो वे केस वापस ले लेंगे। इस सुझाव को सही बताया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त ने उसकी बहू का हाथ पकड़कर बुरी नीयत से खींचा था और सीना दबाया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त की पत्नी ने उसके पति की थाने में रिपोर्ट की थी इसलिए उसने भी अभियुक्त की रिपोर्ट कर दी। स्वतः कहा कि छेड़खानी की थी इसलिए रिपोर्ट की थी।

13 प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-1) के अलावा अन्य साक्षी ईमाबाई एवं रामदयाल अनुश्रुत साक्षी है। घटना की जानकारी उपर्युक्त साक्षीगण को फरियादी से प्राप्त हुई थी। सभी अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्त से पैसों के लेनदेन पर से विवाद होना एवं अभियुक्त की पत्नी के द्वारा फरियादी के पति के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट पर से विवाद होना बताया है। ईमाबाई (अ.सा.-2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसकी बहू ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने उसका बुरी नीयत से हाथ खींचा था। रामदयाल (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि उसकी बहू ने यह बताया था कि अभियुक्त पिटू उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था और नदी की तरफ ले जा रहा था।

14 उभयपक्ष के मध्य प्रकरण में रंजिश का तथ्य विद्यमान है। फरियादी (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना दिनांक 21.02.2015 के ठीक एक दिन पहले अभियुक्त की पत्नी ने उसके पति के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट की थी जिसमें उसका पति जेल गया था। उक्त घटना के तत्काल पश्चात दूसरे दिन फरियादी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट लेख करायी गयी है। उपर्युक्त परिस्थिति में फरियादी द्वारा अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही फरियादी एवं अन्य अभियोजन साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साथ ही फरियादी ने अपने कथनों में बताया है कि अभियुक्त के द्वारा यह पूछने

पर कि सब लोग कहां गये हैं तब उसने बताया कि घर पर कोई नहीं है। जबकि फरियादी के द्वारा चिल्लाने पर खेत पर स्थित घर से उसकी सास ईमाबाई का बाहर निकला जाना स्वयं फरियादी ने बताया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

15 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः अभियुक्त पिंटू उर्फ परसराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)